

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(147)नवि/3/2008 पार्ट-II


जयपुर, दिनांक 17 APR 2015

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने, ग्राउण्ड बेस मास्ट (GBM), ग्राउण्ड बेस टॉवर (GBT) एवं रूफ ऑप टॉवर (RTT) लगाने हेतु अनुमति देने हेतु अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः विलम्ब को समाप्त करने के लिये निम्न निर्देश दिये जाते हैं कि:-


“मोबाइल टॉवर सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा मोबाइल टॉवर उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संबंधित नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे। संबंधित नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रकरण की जाँच कर 15 दिवस में सचिव नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों/लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी 60 दिवस की अवधि में आवेदन पत्र का निस्तारण करेंगे। निर्धारित 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण/एन0ओ0सी0 जारी नहीं होने की दशा में “Deemed NOC” मानकर नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों को देय राशि स्वप्रेरणा से जमा कराने के बाद सेवा प्रदाता कार्य करने हेतु स्वतंत्र होगा।” प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें निर्धारित अवधि में निस्तारण न किये जाने के कारण “Deemed NOC” मानी जायेगी, संबंधित अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने समय से निस्तारण क्यों व किन परिस्थितियों में नहीं किया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी होने की दिनांक को नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों में लम्बित आवेदन भी इस प्रावधान के अध्याधीन रहेंगे तथा “Deemed NOC” के आधार पर सेवा प्रदाता विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर सकेगा।


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय